



198/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 3597 /28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक 20 सितम्बर 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखनऊ।


विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच०डी०एफ०सी० बैंक	50100099245715	IFSC Code HDFC0001112	228.377

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अंतर्गत मौ० फैजुल्लागंज गांव में शंकर यादव से इन्दिरा हास्पिटल तक, आर०के० चौहान के घर से श्री आशीष सिंह, शिवपूजन व महेन्द्र प्रातप के घर तक तथा ए०के० सिंह के घर से टाईल रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.276
2	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत मौ० डुडौली में नीतू प्रजापति से सच्चिदानंद दरोगा राम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.814
3	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत मौ० डुडौली में कामाख्या स्कूल से सच्चिदानंद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.301
4	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत डुडौली मार्ग पर आदर्श विहार गेट से श्री सुशील मिश्रा व कांशीराम से शिवम त्रिवेदी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.926
5	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत मौ० महर्षिनगर में डा० परशुराम के घर से विवेक चन्द्र के घर होते हुए बबलू के घर तक, श्री डी०के० सिंह के घर से मायावती कालोनी तक, श्री राधेश्याम वर्म लेन व सरजू टिम्बर से विवेक चन्द्र के मकान होते हुए तरुण सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.984



198/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
6	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत मौ० महर्षिनगर में खुर्शीद के घर से रवि प्रकाश के घर होते हुये पाठक एवं विजय सिंह के मकान तक एवं हरीश जोशी के मकान तक तथा ऊषा कास्टमेटिक लेन में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.696
7	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत मौ० महर्षिनगर में मनोज कैटर्स सापिंग काम्पलेक्स से विद्यालय एवं नरेश के घर तक तथा मनोज के घर से सुमित तिवारी के घर होते हुये राकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.109
8	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत श्री हनुमान मन्दिर से पाल जनरल स्टोर व द्विवेदी के घर के तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.762
9	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत मौ० सेमरा में मेहन्द्र के घर मुख्य मार्ग तक एवं भानू प्रताप मिश्रा के घर से से धर्मेन्द्र के घर के सामने तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.013
10	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत मौ० सेमरा में रामशंकर के घर से मुख्य मार्ग सी०बी० गुप्ता से रोहित बाजपेई के मकान होते हुए सर्वेश शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.638
11	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अंतर्गत मौ० गौरभीट में एम०डी० कान्वेंट स्कूल व रघुवीर के घर के पास इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.618
12	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अंतर्गत मौ० गौरभीट में एम०डी० कान्वेंट स्कूल रोड से डिनोवा स्कूल होते हुये राम लखन बारी के घर तक एवं मंगल पाण्डेय के मकान से अतुल शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.264
13	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अंतर्गत मौ० गायत्रीनगर में रामलीला मैदान मुख्य मार्ग से श्री राजीव व गुड्डू के मकान से अवस्थी के मकान होते हुए श्री सीताराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.032
14	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अंतर्गत मौ० श्याम विहार में राजेश्वरी कोचिंग से श्रीधर के मकान एवं सड़क से राम रतन, विनोद एवं मनोज लेन में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.438
15	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अंतर्गत रामलीला मैदान के पास राजा राम के घर से नाला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.197



198/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
16	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अंतर्गत रामलीला मैदान के पास टाईल्स रोड, श्री रामपाल के मकान से असगर अली के मकान होते हुए सुरेश के मकान तक एवं परमजीत तथा चॉद अहमद लेन में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.283
17	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अंतर्गत मौ० रामलीला मैदान में सुरेश के घर से शिव मन्दिर व संलग्न गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.385
18	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के में सियाराम मोटर्स से वर्मा गेस्ट हाउस व सरोज स्कूल से अशोक दुबे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.886
19	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	जानकी पुरम वार्ड के मौ० सिकन्दपुर बस्ती में रामचन्द्र के मकान से राजेश रावत होते हुए मामा जनरल स्टोर एवं सतीश यादव तथा गणेश लाल के घर से निरेजन, राम मिलन तथा संतराम के घर होते हुए नौमी लाला के घर तक तथा संजय यादव के घर से सतीश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.143
20	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	लालालाजपत राय वार्ड के मौ० सबौली गांव में सी०एम०एस० के सामने से छोटेलाल, राधाकृष्ण मंदिर होते हुए भुईयन देवी मंदिर तक, मो० असलम के घर से अर्चना मंदिर होते हुए एडवोट संजय यादव, रामचन्द्र शुक्ला के मकान तक, आर०सी०सी. नाला से हनीफ के घर होते हुए श्री आर०सी० शुक्ला के घर तक, मुन्ना लाल के घर से राकेश कश्यप के घर होते हुए शकील अहमद के मकान तक एवं मंदिर लेन में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.257
21	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	जानकी पुरम वार्ड के मौ० मडियांव गांव सरैया टोला में रमेश के मकान से मुन्नू मनोहर एवं अमित के मकान तक, मंदिर से रूद्रेश्वर महादेव होते हुए प्रेम के घर तक एवं कृष्ण मंदिर के लेन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.962
22	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	जानकी पुरम वार्ड के मौ० गुडियनपुरवा में सिटी नोबल एकेडमी से डा० जे०एस० शर्मा तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.393
					228.377

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

✓

(Handwritten signature)



198/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



198/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक